52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम0 के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2698–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–08–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 03/अपील/2013–14.

श्रीमती निर्मलासिंह पुत्री स्व0 सुन्दरसिंह
निवासी हरपालपुर तहसील नौगांव,
जिला छतपुर म0प्र0

———आवेदिका

विरूद्ध

1. श्रीमती सीमासिंह वेवा चन्द्रप्रकाश
2. विश्वाससिंह नाबालिग पुत्र स्व चन्द्रप्रकाश सिंह
3. तृप्ति नाबालिग पुत्री स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह
4. पूनमसिंह वेवा देवदाससिंह
5. प्रियंका सिंह नाबालिग पुत्री देवदाससिंह
   संरक्षक पूनमसिंह
6. कु. अंशुसिंह पुत्र स्व0 देवदाससिंह

समस्त निवासीगण हरपालपुर तहसील नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0

———अनावेदकगण

1. किरन पुत्री स्व0 सुन्दरसिंह
2. घासीराम पुत्र मूलचन्द्र विश्वकर्मा

समस्त निवासीगण हरपालपुर तहसील नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0

———प्रोफार्मा अनावेदकगण

– – – – – –

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 3-11-2016)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 04–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार नौगांव के प्रकरण कमांक 44/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–10–2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें कु0 अंशु सिंह को नाबालिग दर्शाकर आवेदक के रूप में योजित किया गया था। आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–3–2015 को प्रकरण के प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आपत्ति आवेदन पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 4–8–2015 को अपील को समयावधि में मान्य कर ग्राह्य किया गया तथा अंशुसिंह को उत्तरावादी के रूप में योजित करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि अनावेदगण द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह समयावधि बाह्य थी जबकि बटांकन दोनों पक्षों की सहमति एवं उपस्थिति से हुआ था फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयादधि में मान्य करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि समयावधि के आवेदन में दिन प्रति दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ अपूर्ण होने से उक्त अपील को समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की

गई है। तर्क में यह भी कहा कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं होती है इसी बावत प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनियमितता की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील को भी निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आगामी पेशी आदेश हेतु नियत नहीं की गई थी तथा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया था। मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालयीन कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण उसे आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। यह भी तर्क दिया कि दिनांक 28–11–2013 को आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 13–12–2013 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसलिए विलम्ब को क्षमा कर अपील को ग्राह्य करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन सह शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। तर्क में अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं आदेश के अनुसार नाबालिग अंशु सिंह पुत्री देवदास सिंह को लेख होने के कारण अपील में बतौर संरक्षक अपीलार्थीगण अंकित कर अपील प्रस्तुत की गई है। बटवारा के समय आवेदक को इस पर आपत्ति नहीं थी। आपत्ति होने पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उत्तरवादी के रूप में अंशू सिंह का नाम योजित करने का अनुरोध किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया है। अतः

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णरूपेण उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नौगांव ने दिनांक 7–10–2013 को दोनों पक्ष की उपस्थिति में तर्क सुने गये तथा आदेश हेतु पेशी दिनांक 21–10–13 नियत की। आदेश पत्रिका 21–10–2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने उक्त दिनांक को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किये हैं। चूंकि तहसीलदार द्वारा पृथक से आदेश की संसूचना अनावेदक को प्रदान नहीं की थी तथा जैसा कि अनावेदक ने अपने तर्क एवं म्याद अधिनियम की धारा 5 मय शपथ पत्र के आवेदन में दर्शाया है कि राज्य के विधान सभा चुनाव में न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के व्यस्त होने के कारण अनावेदक को आदेश की संसूचना दिनांक 28–11–2013 को आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 13–12–2013 को प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में मात्र 37 दिवस का विलम्ब हुआ है और अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कारण को अनुविभागीय अधिकारी ने समाधानकारक माना है। इसके अतिरिक्त नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि विलम्ब जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण न कर गुण–दोषों पर करना चाहिए इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक एवं अनियमित नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में 1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 पर अविलबिंत होते हुये निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया–

"धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के गुणागुण पर सारवान न्याय देने के उद्देश्य से ही आवेदक की प्रचलनशीलता संबंधी आपत्ति को निरस्त कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मानकर ग्राह्य करने में किसी प्रकार विधी की भूल नहीं की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–2015 स्थिर रखा जाता है।

(एम. के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर